

उल्लंघन पत्र

रजिस्टर्ड ए० डी०

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय
माखूपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर-305002
ई मेल:- ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer -305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax--2695202

स: RAJ/BLW/22RAJ06281

अजमेर दिनांक 16/9/2013

प्रेषित श्री गोपाल लाल लुहार
प्रो.- राम रतन मिनेरल्स
निवासी- बागोर
तहसील- मांडल , भीलवाड़ा-311402

विषय: राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में स्थित आपकी Bajja Ki Kheri (998/05 क्वार्टर फेल्सपार खान 4.0 हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियमों का उल्लंघन (- खान कोड 22RAJ06281)

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 1.9.2013 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण में पाया गया है कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 संशोधित 2011) के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन किया है।
नियम उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा

- 13(1) The mining operations in the leasehold area have not been carried out in accordance with the approved mining plan of state government dated 20/11/2008 to the extent given below.
- a) During 3rd year (2011-12) , It was proposed to produce 15,859 tonnes of feldspar and 3960 tonnes of Quartz whereas 21,500 tonnes of feldspar and 6600 tonnes of quartz was produced. There has been 38 % excess production from mine than approved mining plan resulting in more degradation of lease area.
- b) Mining engineer have not been employed as proposed under para 11.0 of plan.
- c) As per para 12.6.8.2 of approved mining plan, it was proposed to plant 28 saplings each year but the same has not been carried out.
- d) Lease boundary pillar as per lease area description report & approved plan are not found re-erected on ground properly.
- 45(5)(a) Monthly return for the mines from April 2013 have not been submitted.
- 45(5)(b) Annual return of the Mines for the 2011-12 & 2012-13 have not been submitted to the office of Regional Controller of Mines , Ajmer before 1st July 2013 in prescribed format .
- 53 Attendance register, production and dispatch register, mineral analysis report , Copies of notices and returns, plan & sections of mines are not made available for inspection during the inspection of mine..
02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 13(2) and 45 (7)(1) के अंतर्गत (क) खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 03.अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय
(बाबुलाल गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

मूल पर नहीं / प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

- 1) खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
2) खनि अभियन्ता,, भीलवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

(बाबुलाल गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक